निर्णय ब–इजलास जगरूप सिंह यादव, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 01/2017 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन अधिकारी, जयपुर। प्रार्थी

बनाम

1. मैसर्स ताडकेश्वर रेस्टोरेन्ट, राधा दामोदर की गली, चौडा रास्ता, जयपुर।
2. श्री रमेश चन्द आडवानी पुत्र श्री लालचन्द आडवानी निवासी 4/400, मालवीय नगर, जयपुर फर्म मालिक।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी मय एल.पी.जी. 26.00 किलोग्राम व दो रेग्यूलेटर मय रबर पाईप को राजसात करने बाबत।

उपस्थित
1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 14-10-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 02.02.2017 को जिला रसद अधिकारी जयपुर के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों के वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर सुरेन्द्र सिंह राठौड, प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ मैसर्स ताडकेश्वर रेस्टोरेन्ट, राधा दामोदर की गली, चौडा रास्ता, जयपुर के कारखाने/गोदाम की जांच की गई। वक्त जांच मौके पर श्री रमेश आडवानी उपस्थित मिले, जिन्होने स्वयं को फर्म मालिक होना अवगत कराया एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से जारी प्रमाण पत्र संख्या 22216058001283 की प्रति प्रस्तुत की गई। कारखाने की जांच करने पर 02 आई.ओ.सी. घरेलू गैस सिलेण्डर (एसआर नम्बर 751911 व 351052) रेग्यूलेटरो के साथ रबर पाईप लोहे की भट्टियों से लगे पाये गये। जिनमे से एक पर समोसे व एक पर कचोरी बनाई जा रही थी। मौके पर भट्टियों को बंद करवाकर उक्त दोनो सिलेण्डरों मय रेग्यूलेटर व रबड पाईप को निकलवाकर अलग रखवाया गया। मौके पर फर्म मालिक द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। मौके पर मैसर्स नवीन गैस सर्विस के डिलीवरी मैन श्री पप्पू पुत्र मौ॰ रफीक को सॉल्टर मशीन के साथ बुलाकर उक्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डरो का तौल कराया गया, जिस पर सिलेण्डरों में 26.00 किलोग्राम शुद्ध एल.पी.जी. पाई गई तथा एल.पी.जी. गैस होने की पुष्टि की गई। फर्म मालिक द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 26.00 किलोग्राम

जिला कलक्टर
जयपुर

व दो रेग्यूलेटर मय रबर पाईप को जब्त किया गया तथा सुरक्षा की दृष्टि से मैसर्स नवीन गैस सर्विस जयपुर के डिलीवरी मैन श्री पप्पू पुत्र मो. रफीक निवासी संजय नगर, शास्त्री नगर जयपुर की सुपुर्दगी में दिये गये। जब्तशुदा 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 26.00 किलोग्राम व दो रेग्यूलेटर मय रबर पाईप को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश दिनांक 16.02.2017 को पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं आये अतः पत्रावली वास्ते बहस पैराकार रसद नियत की गई।

3. बहस एक पक्षीय पैरोकार रसद सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि निरीक्षण के दौरान कारखाने/गोदाम की जांच करने पर 02 आई.ओ.सी. घरेलू गैस सिलेण्डर रेग्यूलेटरो के साथ रबर पाईप लोहे की भट्टियों से लगे पाये गये। जिनमे से एक पर समोसे व एक पर कचोरी बनाई जा रही थी, जिससे यह सिद्ध होता है कि फर्म द्वारा धरेलू गैस सिलेण्डरों का वाणिज्यिक उपयोग किया गया है। फर्म मालिक द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 26.00 किलोग्राम एवं 2 रेग्यूलेटर मय रबर पाईप राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. हमने पैरोकार रसद द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 02.02.2017 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. घरेलू गैस सिलेण्डर केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को अनुदानित दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दौराने निरीक्षण मैसर्स ताडकेश्वर रेस्टोरेन्ट, राधा दामोदर की गली, चौडा रास्ता, जयपुर के कारखाने/गोदाम 02 आई.ओ. सी. घरेलू गैस सिलेण्डर 02 रेग्यूलेटरो के साथ रबर पाईप लोहे की भट्टियों से लगे पाये गये। जिनमे से एक पर समोसे व एक पर कचोरी बनाई जा रही थी। जिससे यह सिद्ध होता है कि फर्म द्वारा धरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किया गया है। जिससे घरेलू गैस का वाणिज्यिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का

जिला कलक्टर
जयपुर

उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 02 घरेलू सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 26.00 किलोग्राम एवं 2 रेग्यूलेटर मय रबडपाईप को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है । प्रकरण में अप्रार्थीगण के कब्जे से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेण्डर आई.ओ.सी. मय एल.पी.जी. 26.00 किलोग्राम एवं 2 रेग्यूलेटर मय रबड पाईप को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को आदेशित किया जाता है कि प्रकरण में जब्त सिलेण्डर के अन्तरिम निस्तारण किये जाने के आदेश पूर्व में पारित किये जा चुके है। तदनुसार अन्तरिम निस्तारण से प्राप्त राशि नियमानुसार राजकोष के निर्धारित मद में जमा करा कर पालना सुनिश्चित करें।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक 14-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जगरूप सिंह यादव)
जिला कलेक्टर
जयपुर